ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.13 से 31.3.16

भाग-एक

1 **(क)प्रस्तावना :- ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या** PCH-HC-(5)C(15)LAD/**2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत महाकाल विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-**

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति शशी देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री देश राज	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कटोच	01.04.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत महाकाल के लेखाओं अवधि 1.4.13 से 31.3.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.04
2	पैरा-5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.40
3	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	10.80
4	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	1.78
5	पैरा-9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	2.60

6	पैरा-11	निर्माण सामग्री के क्रय में अधिक भुगतान	0.03

भाग-दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 26.07.16 से 30.07.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 1/14, 2/15,11/15 व 10/13, 11/14, 5/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170 दिनांक 30.07.16 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 811775 दिनांक 19.08.16 द्वारा अंकेक्षण शुल्क निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत महाकाल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत महाकाल के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक की स्व स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	273029	81273	354302	18551	335751
2014-15	335751	141872	477623	26303	451320
2015-16	451320	8194	459514	44922	414592

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत महाकाल के अवधि 1.4.13 से 31.3.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट-1" में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	651297	1693912	2345209	1679722	665487
2014-15	665487	1612133	2277620	1467943	809677
2015-16	809677	1373471	2183148	1103003	1080145

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹414592/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1080145/-

योग : ₹1494737/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹1490416.15/-

हस्तगत राशि : ₹14/-

अन्तर : ₹4307/-

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, KCCB – 4104	75.00
VKNY, HDFC - 0229	57820.00
SDP, HDFC - 0253	50840.54
IAY, HDFC – 0202	57.34
RAY/AAY, HDFC - 0246	1061.51
Water Shed, KCCB - 4580	45.00

13TH F.C-ZP HDFC **- 0263**	**60975.26**
General, Own Source, SBM, **13TH** FC, KCCB – **3031**	**1254135.50**
General, Own Source, SBM, **13TH** FC, KCCB – **4148**	**65406.00**
कुल राशि	**1490416.15**

4.2 **रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹ 4307 /- के अन्तर बारे :-**

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, SBM **एवं 13TH** FC **में प्राप्त आय व अनुदान को खाता संख्या** KCCB-**3031 व** KCCB- **4148 में ही जमा करवाया गया था लेकिन समय -2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था , जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹ 4307/- का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है :**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वही का शेष :	**दिनांक 31.03.16 को बैंक में शेष :**
General Fund **: ₹ 168324/-**	KCCB – **3031 : ₹ 1254135.50** KCCB – **3031 : ₹ 65406.00** Cash in Hand: **₹ 10.00**
SBM : **₹ 12100/-**	
13TH FC : ₹ 728842/-	
Own Source Fund **: ₹ 414592/-**	
Total ₹ 1323858 /-	**₹ 1319551.50 /-**

अन्तर: ₹ 4307.00

अतः उक्त अन्तर ₹4307/- बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत **से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।**

4.3 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-</u>

ग्राम पंचायत महाकाल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 <u>पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे :-</u>

जांच में पाया कि पंचायत के अधिकतर खाते निजी बैंक एचडीएफ़सी बैजनाथ में खोले गए थे जो कि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)**1-68/91**-V **दिनांक 17.04.14 में दिये गए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि राज्य सहकारी बैंक में** जमा **की जानी अपेक्षित थी। अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार राज्य सहकारी बैंक की नजदीक शाखा में पंचायत की राशि को अंतरित करना सुनिश्चित करें।**

4.5 <u>रोकड़ वही को नियमानुसार तैयार न करना :-</u>

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 <u>पंचायत राजस्व ₹ 0.40/- लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-</u>

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जाँच

करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 1.4.09 से 31.3.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है व इससे पंचायत को ब्याज के रूप में हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹39960 /- की वसूली शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
01.04.2009	7100	-	7100	-	7100
2009-10 से 2013-14	7100	43400	50500	18560	31940
2014-15	31940	9440	41380	11340	30040
2015-16	30040	10240	40280	320	39960

(2) भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में भू-राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 **अनुदान ₹10.80 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1080145/- उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 /- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व

तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा “परिशिष्ट-2” में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 1.78 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि “परिशिष्ट-3” में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹178357/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **₹2.60 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि “परिशिष्ट-4” में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹260282 /- की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 **<u>निर्माण सामग्री के क्रय में ₹1620/- का अधिक भुगतान :-</u>**

13वें वित आयोग के वाउचर संख्या 80 दिनांक 23.10.13 की जांच में पाया कि आपूर्तिकर्ता मैसर्ज बगलामुखी ट्रेडर से कार्य “नि. शमशान घाट (shed**) मन्धोल ” के लिए निम्न सामग्री की आपूर्ति हेतु ₹ 14100/- का भुगतान किया गया था :**

50 cubic ft Sand @ 35/- per CFT = 1750

70 cubic ft Crusher @ 37/- per CFT **= 2590**

210 cubic ft Boulder **@ 32/-** per CFT= **6720**

380 No Cut stone **@ 8/-** each = 3040

Total = 14100

जबकि मनरेगा के वाउचर संख्या 35 दिनांक 23.10.2013 एवं वाउचर संख्या 40 दिनांक 23.10.2013 में इसी आपूर्तिकर्ता ने कार्य “ नि. कुल्ह प्रहलाद की जमीन से कणु राम की जमीन तक ” एवं कार्य “ नि. कुल्ह PNB **से सरदार बुद्धि सिंह के घर तक ” के लिए निम्न दरों से सामग्री की आपूर्ति की थी :**

Sand **@ 32/-** per CFT

Crusher **@ 34/-** per CFT

Boulder **@ 26 /-** per CFT

इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को एक ही अवधि में अलग-2 दरों के भुगतान के फलस्वरूप ₹1620/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

सामग्री	अधिक दर पर भुगतान	अधिक /अनुचित भुगतान (₹)
50 cubic ft Sand	**35-32 =3** per cubic ft	**150.00**
70 cubic ft Crusher	**37-34 =3** per cubic ft	**210.00**
210 cubic ft Boulder	**32-26 =6** per cubic ft	**1260.00**

अतः उक्त प्रकरण में अधिक दरों पर किए गए क्रय के परिणामस्वरूप पंचायत निधि को ₹1620/- की हानि हुई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। इसके अतिरिक्त चयनित महों के अतिरिक्त अन्य माहों में इस प्रकार के क्रय में अधिक भुगतान की गणना संस्था स्तर पर करके वसूली करना सुनिश्चित करें।

11 **<u>निर्माण सामग्री के क्रय में ₹3000/- का अधिक भुगतान :-</u>**

मनरेगा के वाउचर संख्या 85 दिनांक 20.03.14 की जांच में पाया कि बिल संख्या

2146 दिनांक शुन्य द्वारा M/s Baglamukhi Traders **से 3000** Cut Stone **@ ₹9/-** each cut stone **की दर से कुल ₹27000/- में निर्माण कार्य "सड़क मल्हड़ खड्ड, हरिजन वस्ती" के लिए क्रय किए थे जबकि पंचायत द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करके** Cut Stone **की दरें** M/s Baglamukhi Traders **के पक्ष में ₹8/-** each cut stone **की दर अनुमोदित की गई थी। इस प्रकार उक्त प्रकरण में अनुमोदित दर से अधिक दर पर निर्माण सामग्री का क्रय करके आपूर्तिकर्ता को ₹3000/- का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा अधिक/अनियमित भुगतान ₹3000/- की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।**

12 **<u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई व अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

13 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन :-</u>**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **<u>लघु आपति विवरणिका</u> :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया व लघु आपतियों का अंकेक्षण के**

दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 19 / 2016–खण्ड–1–5357–5360 दिनाँकः 06.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत महाकाल, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.